

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 37

बजट मद

2401-फसल कृषि कर्म

00-

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(09)-जिला स्तरीय संस्थापन व्यय

[01]-संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध (राज्य निधि)

(राशि रूपयों में)

S.N.	IFMS Code	Name of Office	01 Salary	03 TA	04 Med.	05 OE	19 Elect/ Water	37 Liveries
1.	6269	DY.DAG(EXT.), ZP, SIKER	0	0	0	0	0	1750
2.	9883	ASSTT.DAG (EXT.) RAJGARH	1350000	0	0	0	0	0
3.	15837	DY.DAG(EXT.), ZP, GANGANGAR	0	0	0	0	10000	0
4.	2713	DY.DAG(EXT), ZP, CHITTORGARH	0	0	0	0	10000	1650
5.	20570	ASSTT.DAG (EXT.), NATHDWARA	0	0	0	10000	0	0
6.	4286	DY.DAG(EXT.), ZP, JAIPUR	0	0	0	10000	0	3300
7.	14066	ASSTT.DAG (EXT.), JAISALMER	0	25000	0	0	0	0
8.	11232	DY.DAG(EXT.), ZP, KOTA	0	15000	0	10000	0	0
9.	22265	ASSTT.DAG (EXT.), BARAN	0	20000	0	0	0	0
10.	18145	ASSTT.DAG (EXT.) KUCHAMAN CITY	0	50000	0	0	0	0
11.	6768	ASSTT.DAG (EXT.) JHALAWAR	0	25000	0	10000	0	0
12.	3807	ASSTT.DAG (EXT.) BUNDI	0	0	0	0	10000	0
13.	20555	ASSTT.DAG (EXT.), DUNI	0	0	0	10000	0	0
14.	5017	DY.DAG(EXT.), ZP, BHARATPUR	0	25000	0	10000	10000	0
15.	3078	ASSTT.DAG (EXT.) BHARATPUR	0	0	0	10000	10000	0
16.	22296	DY.DAG(EXT.), ZP, JODHPUR	0	0	2664	0	0	0
17.	12028	ASSTT.DAG (EXT.) KOTA (Sangod)	0	0	0	0	10000	0
18.	15209	DY.DAG(EXT.), ZP, BARAN	356000	0	0	0	0	0
Total			1706000	160000	2664	70000	60000	6700

व्यय करते समय सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, यात्रा भत्ता नियम, चिकित्सा परिचर्या नियम आदि का पूर्ण ध्यान रखा जावे।

४०

(राधेश्याम गुप्ता)
लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/ 7269-88

दिनांक : 10.01.2018

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद, सीकर/श्रीगंगानगर/चित्तौड़गढ़/जयपुर/भरतपुर/जोधपुर/बांरा।
2. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), राजगढ़/नाथद्वारा/जैसलमेर/बांरा/कुचामन सिटी/झालावाड़/बूंदी/दूनी/भरतपुर/सांगोद (कोटा)।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
4. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावे।

१०/०१/१८

(राधेश्याम गुप्ता)
लेखाधिकारी, कृषि